

फर्द अहकाम

(नियम 26)






अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा मुकाम : बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी श्री पुनिषा वर्मा बनाम अप्रार्थी देवीलाल वर्मा

किस्म मुकदमा-(प्रार्थना पत्र) 0-29 R 2(A) प्रकरण संख्या- 41 / 2020
 तपासी धारा 157 उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा 1908

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27/10/2020	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री <u>पुनिषा</u> पिता <u>उमरा</u> जाति <u>भूमि</u> निवासी <u>हनुमान मन्दिर के पास गांव बडवी 11 ईपीएम बांसवाड़ा</u> प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा <u>029 R 2A, 157-1908</u> विरुद्ध अप्रार्थीगण श्री <u>देवीलाल</u> पिता <u>जागपी</u> जाति <u>भूमि</u> निवासी <u>बडवी 11 ई. व फिम बांसवाड़ा</u> के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक <u>13-11-2020</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">h उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p>	
13-11-2020	<p>पत्रावली पेश। प्रार्थी के बरतल उपस्थित। अप्रार्थी ने पत्र (3) व (8) के नाम जारी नोटिस बाद नामिल प्रपण हुआ। शामिल किस्म जिले। प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थीगण के बरतल को दिलाई गयी। पत्रावली वाले पत्राव अप्रार्थीगण दिनांक 20-11-2020 को पेश हो। श्रीमान जी को फाएब आद अन्य रपवर्त में उपलब्ध करवाये।</p>	
20-11-2020	<p>पत्रावली पेश। उपस्थित। श्रीमान जी को फाएब आद अन्य रपवर्त में उपलब्ध पत्रावली वाले पत्राव दिनांक 24-12-2020 को पेश हो।</p>	



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>15-11-2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी-पुनर्माही वकील अश्विनी कायान्त हुकमके पदवैना पत्र पर अदालतकी आदेश दिनांक 29-11-2022 को पेश है। </p>	
<p>20-11-2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी-पुनर्माही वकील उपस्थित पत्रावली वादों के अदालत आदेश दिनांक 20-12-2022 को पेश है। </p>	
<p>20-12-2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी-पुनर्माही वकील उपस्थित दीर्घा 10 मा 30 का नतीजे लभत है पत्रावली वादों पुनर्माही दिनांक 30-1-2023 को पेश है। </p>	
<p>30-1-2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी-पुनर्माही वकील अश्विनी पत्रावली वादों आदेश दिनांक 6-2-2023 को पेश है। </p>	
<p>06-2-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकतर पामा कउठ न्यायालय समय में बाल-बाल भावजें लगे वादी गयी फिर भी न ले अधिकतर पामा और - न ही गयी रूप 0 हुई। कतः पत्रावली कदम-पैली कदम दायी आदेश 09 दिनांक 03 एपीली में छोड़ने की गयी है। पत्रावली केवल युक्त है तब से कम-मी जायत रीजिल दफ्तर है। निर्णय किया जायत लगे इतनाक पुनर्माही </p>	